



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 145/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 29.04.2025

निर्णय पारित किया गया : 22.07.2025

- 1 - भान सिंह लाहरे पिता जेतुवा, 66 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - रामनारायण @सुरेश पिता भान सिंह लाहरे 37 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - रमेश कुमार पिता भान सिंह लाहरे, 32 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - गणेश राम पिता भान सिंह लाहरे, 28 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 5 - दिनेश कुमार पिता भान सिंह लाहरे, 28 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 6 - निवासीशकर पिता भान सिंह लाहरे, 19 वर्ष, निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 7 - श्रीमती. बैसाखा बाई पति भान सिंह लाहरे, 65 वर्ष, निवासी ग्राम बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना कोटा, नागरिक तथा राजस्व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

दाण्डिक अपील सं 493/2019



1 – रविशंकर लाहरे पिता भान सिंह लाहरे, 23 वर्ष , निवासी गाँव बिलिबैंड, पुलिस थाना कोटा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना कोटा, नागरिक तथा राजस्व जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :-- श्री वी. आर. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. आर. ए. सं.145/2019 में श्री आर.

आर. सोनी, अधिवक्ता तथा सी. आर. ए. सं.493/2019 में सुश्री लक्ष्मी टोंडी अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :-- श्री अंकुर कश्यप, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

रजनी दुबे न्यायाधीश के अनुसार

1. चूंकि दोनों अपीलों में दोषसिद्धि तथा दंड का एक ही निर्णय शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ मिला दिया गया है, एक साथ सुना गया है और एक ही आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।
2. वर्तमान अपीलें विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा एस.टी. क्रमांक 34/2018 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 22.12.2016 के विरुद्ध हैं, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149, 328/149 एवं 302/149 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा उन्हें क्रमशः 1 वर्ष के कठोर कारावास, 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं आजीवन कारावास का दंड पारित किया गया है।
3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.12.2017 को परिवादी ने पुलिस थाना कोटा में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मौखिक परिवाद किया गया है कि उसके पिता मालिकराम ने भूमि विक्रय के



निष्पादन हेतु अपीलकर्ता भान सिंह से 20,000/- रुपए प्राप्त किए थे तथा उक्त राशि उसके पिता द्वारा अपीलकर्ता भान सिंह को वापस नहीं की गई, जिसके कारण उसके पिता और अपीलकर्ता क्रमांक 1 के बीच कुछ विवाद हो गया और अपीलकर्ताओं ने उसके पिता मालिकराम के साथ मारपीट की तथा अपीलकर्ता भान सिंह द्वारा मालिकराम को जहर पिला दिया गया और उसके बाद अपीलकर्ता मौके से भाग गए तथा मालिकराम को कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया और उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवादी द्वारा किया गया परिवाद के आधार पर पुलिस ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अन्वेषण पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया, जैसा कि निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेख किया गया है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि मृतक के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभि० सा०-3 एवं अभि० सा०-4 के कथनों पर भी विचार नहीं किया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक घटना के समय शराब पी रहा था तथा एक छोटी सी बात पर मृतक एवं अपीलकर्ताओं के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें अचानक मारपीट हो गई, जिसमें मृतक को कुछ चोटें आईं, तत्पश्चात उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया तथा अपीलकर्ताओं को गलत रूप से दोषी ठहराया गया। अतः अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, रिपोर्ट (2022) 14 एससीसी 544, सोनाली मुखर्जी बनाम भारत संघ, रिपोर्ट (2010) 15 एससीसी 25, अल्लारखा हबीब मेमन और अन्य बनाम गुजरात राज्य, रिपोर्ट (2024) 9 एससीसी 546, नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रिपोर्ट (2023) 10 एससीसी 470 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा रखा है। मेहराज सिंह बनाम यूपी राज्य, रिपोर्ट (1994) 5 एससीसी 188, सेकरन बनाम तमिलनाडु राज्य, रिपोर्ट (2024) 2 एससीसी 176, कैलाश गौर और अन्य बनाम असम राज्य, रिपोर्ट (2012) 2 एससीसी 34, रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, रिपोर्ट (2007) 13 एससीसी 501 और रमेश बाबूराव देवस्कर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, (2007) 13 एससीसी 501 में रिपोर्ट किया गया।

5. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है और अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया है। अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, एआईआर 2004 एससी 4164 में रिपोर्ट किए गए और



राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, एआईआर 2003 एससी 4664 में रिपोर्ट किए गए मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं. सं. की धारा 147 सहपठित धारा 149, धारा 148 सहपठित धारा 149, धारा 328 सहपठित धारा 149 और धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत आरोप निर्धारित किया गया।

8. हमारे सामने विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है या नहीं?

9. अमन कुमार पटले (पीडब्लू-1) ने बताया कि घटना दिनांक को सभी आरोपीगण उसके घर आए और उसके पिता के साथ मारपीट की तथा उनके पिता के मुंह में जहर दे दिया। उन्होंने जांच ज्ञापन (एक्स-पी/1) तथा भाग ए से ए पर देहाती नालिसी (एक्स-पी/2) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

10. निरीक्षक कृष्णकांत सिंह (पीडब्लू-19) ने बताया कि सूचना मिलने पर वे ग्राम बिलिबंद पहुंचे तथा गुलशन कुमार पटले की सूचना के अनुसार देहाती नालिसी (एक्स-पी/2) दर्ज कराई। एसआई योगेश गुप्ता (पीडब्लू-10) ने बताया कि उन्होंने पुलिस मेमो (एक्स-पी/20) के आधार पर सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मर्ग सूचना संख्या 0/557/2017 (एक्स-पी/21) दर्ज कराई और मलिक की मौत के बारे में मर्ग सूचना दर्ज कराई। उन्होंने जांच के लिए नोटिस जारी किया (एक्स-पी/6) और साक्षियों के समक्ष, उन्होंने जांच ज्ञापन (एक्स-पी/1) तैयार किया और साक्षियों की सलाह के अनुसार, उन्होंने मृतक मलिक राम के शव के पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दिया, एक्स-पी/10 के तहत। डॉक्टर एन. वरुण (पीडब्लू-6) ने 03.02.2017 को अपराह्न 3:10 बजे मृतक का पोस्टमार्टम किया और उन्हें निम्नलिखित आंतरिक चोटें मिलीं:---

"01. दिनांक 03.12.2017 को मृतक मालिकराम पाटले के शव का परीक्षण करने के लिए शव परीक्षण आवेदन साहेत मृतक के शव को आरक्षक नरेश पोर्ते के द्वारा लाया गया था। शव का पहचान मृतक का लड़का अमन कुमार पाटले एवं उसकी लड़की तथा भतीजा कोदूप्रसाद पाटले के द्वारा किया गया था। मेरे द्वारा मृतक मालिकराम पाटले पिता बहला पाटले के शव का परीक्षण किया गया है। शव परीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 03.12.2017 के शाम 03.10 बजे प्रारम्भ किया गया था। शव परीक्षण करने पर मैं निम्नानुसार चोटें पाया था-1. मृतक मालिकराम पाटले सामान्य कदकाठी एवं गेहुआ रंग का था, मृतक का शव हल्का कीम कलर के साल से ढका हुआ था एवं गहरा भूरा कलर का अण्डरवियर शरीर में था, मृतक के दोनो तरफ के कर्तों एवं हाथों में अकड़न (रिगोर मोर्टिस) मौजूद था, मृतक के नाक एवं एवं मुह के दाहिने हिस्से से रक्त मिला हुआ द्रव्य पदार्थ निकल रहा था, मृतक की दोनों आखें बंद थी एवं मुंह खुला था, मृतक के माथे के दाहिने हिस्से पर बालों के नीचे 4x4 सेमी का कट्यूजन मौजूद था, मृतक के दाहिने घुटने के उपरी हिस्से पर 4x3 सेमी का अब्रेजन मौजूद था, मृतक के बाएं घुटने के नीचले भाग पर 3x2 सेमी का कट्यूजन मौजूद था, मृतक के गर्दन के दाहिने हिस्से में लगभग एक सेमी. का अर्द्धचन्द्राकार अब्रेजन मौजूद था, मृतक के पीठ के दाहिने



पिछले हिस्से में 4x3 सेमी. का कट्यूजन मौजूद था, नाखूनों में नीलापन मौजूद था। 2. आंतरिक परीक्षण-1. मृतक के शव का आंतरिक परीक्षण करने पर मैंने पाया कि माथे के दाहिने तरफ चमड़ी के अंदरूनी भाग में 5x3 सेमी के जमा हुआ रक्त का थक्का था, माथे के दाहिने तरफ के भाग स्कैल्प सर्फेस के अंदरूनी भाग में 4x2 सेमी का हेमाटोमा था. सिल्ली कंजस्टेड अवस्था में थी मस्तिष्क और मेरुरज्जू कंजस्टेड अवस्था में था, पसली, स्टर्नम एवं कोमलस्व में कोई बाह्य चोट नहीं था. फुफ्फुस कंजस्टेड अवस्था में था, कठ एवं श्वासनली में रक्त मिला द्रव्य पदार्थ मौजूद था, मृतक के दोनो तरफ के फेफड़े में झागदार कंजेशन मौजूद था, मृतक के परिओन परकरसिम कंजस्टेड अवस्था में था, मृतक के हृदय के दोनों तरफ के हिस्सों में रक्त मौजूद था. मृतक के पर्दा पर किसी भी प्रकार का चोट, खरोच अथवा मारपीट जैसा निशान मौजूद नहीं था. आंतों की झिल्लिया कंजस्टेड अवस्था में थी एव मुख और ग्रासनली भी कंजस्टेड थे, पेट में 10 मिली काला द्रव्य मौजूद था, पेट की अंदरूनी परत काफी ज्यादा मात्रा में कंजस्टेड थी. छोटी आत में कई छोटे आकार के रक्त के धब्बे मौजूद थे, बड़ी आत में हवा एवं मल पदार्थ मौजूद था. यकृत, प्लीहा और दोनो गुर्दे कंजस्टेड अवस्था में थे, मुत्रास खाली था, भीतरी और बाह्य जननेन्द्रीयों सामान्य थी।

2. मृतक की दोनो तरफ की पसलियों स्टर्नम एव हाथों एवं पैरों की 2 किसी भी हड्डी पर बाहरी चोट, खरोच अथवा मारपीट के जैसा निशान मौजूद नहीं था, शव में आयी चोटे मृत्यु के 12-24 घण्टे पूर्व की थी।

3. मैंने मृतक के भीतरी अंगों को सीलबंद डिब्बे में नमक के घोल के साथ बद कर के उसी पुलिस आरक्षक को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ०एस०एल० ले जाने की सलाह दी थी। बॉटल ए में स्टमक एव छोटी आत का एक फिट का हिस्सा रखा, बॉटल बी में फेफड़ा, यकृत प्लीहा एव गुर्दे के टुकड़े रखे एव बॉटल सी में रक्त का सेम्पल रखा।"उन्होंने पाया कि मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय देना संभव नहीं है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्स-पी/10 प्रस्तुत की।

11. एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मिथाइल पैराथियान पाया गया। आर्टिकल ए और बी में, मृतक के फेफड़े, यकृत, गुर्दे, तिल्ली, आमाशय और छोटी आंत के टुकड़े संरक्षित किए गए थे। आर्टिकल सी में, मृतक मलिक राम का रक्त प्लास्टिक की बोतल में सुरक्षित रखा गया था। आर्टिकल-घ में, नमूना द्रव/नमकीन घोल सुरक्षित रखा गया था, जबकि अनुच्छेद-ड में, ज़हर की बोतल सुरक्षित रखी गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु का कारण ज़हर था। डॉ. एन. वरुण (अभियुक्त-6) के कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि मृत्यु हत्या थी या आत्महत्या। अतः, हमें इस संबंध में सभी साक्षियों के कथनों की जाँच करनी होगी।

12. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी अपीलकर्ताओं ने मृतक मलिक राम पर हमला किया और अभियुक्त दिनेश ने उसके मुँह में ज़हर डाल दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सभी उपस्थित अभियुक्तों ने केवल मृतक मलिक राम पर हमला किया और उसके बाद वे मृतक के घर से चले गए और उसके बाद मलिक



राम ने आत्महत्या कर ली और उसके पुत्र अमन कुमार (अभियुक्त-1) ने अभियोजन एजेंसी की सहायता से अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया।

13. अमन कुमार (पीडब्लू-1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 9 में स्वीकार किया कि घटना दिनांक को एसएचओ उसके घर आए थे और जांच के बाद वह चले गए और उस दिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने कंडिका 11 में यह भी स्वीकार किया कि जांच ज्ञापन के समय, उन्होंने हत्या के लिए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उन्होंने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि जांच ज्ञापन सीआईएमएस चौकी के प्रभारी द्वारा तैयार किया गया था। विलय सूचना एक्स.पी/20 एवं एक्स.पी/21 से स्पष्ट है कि मृतक मालिक राम की मृत्यु दिनांक 03.12.2017 को प्रातः 10:55 बजे जहर के कारण हुई तथा देहाती नालसी (एक्स.पी/2) का अभिलेख □□ द्वारा दिनांक 04.12.2017 को सायं 5:30 बजे किया गया। इनक्वेस्ट मेमो से यह भी स्पष्ट है कि इसे □□□□ के चौकी प्रभारी □□-19 कृष्णकांत द्वारा दिनांक 03.12.2017 को तैयार किया गया था तथा एक्स.पी/1 में लिखा है कि पंचों ने भी मृतक की मृत्यु के संबंध में अपनी राय दी है तथा उनका मत है कि चूंकि जांच के पश्चात् चिकित्सक ने मृतक को मृत घोषित कर दिया है तथा सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना चाहिए तथा यह उनकी राय है।

14. मृतक के पुत्र अर्थात् परिवादी अमन कुमार (पीडब्लू-1) ने जाँच रिपोर्ट (एक्स.पी/1) के भाग ए से ए पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन एक्स.पी/1 में उन्होंने कहीं भी अभियुक्तों द्वारा किसी हमले या किसी कृत्य के बारे में नहीं बताया और अभियुक्त दिनेश के कृत्य कि उसने मृतक के मुँह में जहर कैसे दिया, का वर्णन नहीं किया गया है। पीडब्लू-19 अन्वेषण अधिकारी कृष्णकांत सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 20 में स्वीकार किया कि 03.12.2017 को उनके कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन के माध्यम से यह सूचना मिलने के बाद कि मृतक मालिक राम की मृत्यु हो गई है, वे गाँव बिल्लिबंद गए और उस दिन मृतक के परिवार के सदस्यों का बयान नहीं लिया और एफआईआर दर्ज नहीं की। कंडिका 21 में उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु के संबंध में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने रोजनामचासंहा-182 की प्रति दाखिल नहीं की, जिसका उल्लेख उन्होंने एफआईआर (एक्स-पी/26) में किया था।

15. मृतक पीडब्लू-1 के पुत्र अमन कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 25 में स्वीकार किया कि जब उसके पिता अंडे लेकर आ रहे थे, तो वे बहुत गुस्से में थे और घर के अंदर चले गए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय उनके पिता ने क्या खाया, क्या पिया, यह उन्होंने नहीं देखा और न ही बता सकते हैं। उन्होंने कंडिका 16 में यह भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक को उनके पिता ने सुबह शराब पी थी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक को अभियुक्त दिनेश, गणेश गौरीशंकर ने उनके पिता के खिलाफ कमीशनखोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।



16. मृतक बिरसबाई (अभियुक्त-2) की पत्नी ने अपने बेटे (अभियुक्त-1) से अलग कहानी कही। उसने बताया कि घटना के दिन सभी आरोपियों और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन वे किस बात पर झगड़ रहे थे, यह उसे नहीं पता। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उन्हें झगड़ते नहीं देखा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका पति बाहर से आया और आँगन में गिर पड़ा और उसे उल्टी-दस्त होने लगे, जिसके बाद उसने अपने बेटे अमन से अपने पति को अस्पताल ले जाने को कहा। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षा की, तब उसने अभियोजन पक्ष के सभी सुझावों को स्वीकार किया कि अमन कुमार ने उसे घटना के बारे में बताया था और कहा कि दिनेश ने उसके पति को जहर खिला दिया था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 3 में यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन जब उसका पति वापस आया, तो वह घर पर नहीं थी और जब वह वापस आई, तो उसका पति लेटा हुआ था, तब उसने अपने बेटे अमन से उसे अस्पताल ले जाने को कहा। अभि० सा०-1 अमन कुमार तथा अभि० सा०-2 बिरसबाई ने भी बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्तगणों के साथ उनकी पूर्व से दुश्मनी है।

17. पीडब्लू-3 गुलशन कुमार ने बताया कि घटना दिनांक को सभी अभियुक्तों ने उसके चाचा के साथ मारपीट की तथा दिनेश ने मृतक के मुंह में जहर डाल दिया गया। इसके बाद उसके चाचा को कोटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसने बचाव पक्ष के इस तर्क को भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक को उसके चाचा सुबह से ही नशे की हालत में थे। इस साक्षी के अनुसार, घटनास्थल गांव का मुख्य मार्ग है, लेकिन प्रतिपरीक्षा के कंडिका 6 में उसने यह भी कहा कि घटना के दिन मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ थी।

18. कोदू प्रसाद पटले (अभियुक्त-4) ने बताया कि घटना के दिन मृतक दिनेश की दुकान के पास शराब पीकर चला गया। इसके बाद जब वह मनोज की दुकान में अखबार पढ़ रहा था, तो मृतक मालिक राम तबली लेकर वहां आया और अभियुक्तगण को गालियां देते हुए कहा कि वे उससे पैसे मांग रहे हैं। इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और अभियुक्त दिनेश ने उसके मुंह पर तरल पदार्थ जैसा पदार्थ डाल दिया। 19. राजू बंजारे (अभि.सा.-8) ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर था। अभियुक्तगण मृतक मालिकराम के साथ मारपीट कर रहे थे, तभी उसने हस्तक्षेप किया और मृतक को उसके परिवार के सदस्य अपने घर ले गए, तत्पश्चात वह भी अपने घर आ गया। तत्पश्चात मृतक को उल्टी-दस्त होने लगे, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया तथा उससे प्रतिपरीक्षा की, तब उसने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि दिनेश ने मृतक के मुंह में जहर डाला था।

20. योगेश गुप्ता (अभि.सा.-10) ने जांच ज्ञापन तैयार किया तथा उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि मृतक को सी.आई.एम.एस. ले जाने से पहले उसे कोटा अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूछताछ के दौरान पंचों ने बताया कि मृतक ने जहर खा लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे



इलाज के लिए कोटा अस्पताल ले जाया गया और फिर सिम्स रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

21. अन्वेषण अधिकारी सहित सभी साक्षियों के बयानों की बारीकी से जाँच करने पर यह स्पष्ट है कि साक्षियों के बयान एक-दूसरे से विरोधाभासी हैं। कुछ साक्षियों ने बताया कि घटना मालिक राम के घर में हुई और कुछ ने बताया कि घटना गुलशन कुमार की दुकान के पास हुई। गुलशन कुमार ने बताया कि घटना गाँव के मुख्य मार्ग पर हुई। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि मृतक के पुत्र/परिवादी (पीडब्लू-1) ने उसी दिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जिस दिन अभियुक्त ने उसके पिता के मुँह में ज़हर डाला और उसकी मृत्यु हो गई। अन्वेषण अधिकारी ने भी बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया कि वह उसी दिन अर्थात् 03.12.2017 को घटनास्थल पर पहुँचे थे, परन्तु उन्होंने कोई देहाती नालिसी दर्ज नहीं करवाई। जाँच ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी/1) से स्पष्ट है कि यह ज्ञापन चौकी प्रभारी द्वारा 03.12.2017 को तैयार किया गया था और शिकायतकर्ता अमन कुमार जाँच ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी/1) का गवाह भी था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि आरोपी दिनेश ने अपने पिता के मुँह में ज़हर कैसे पहुँचाया। देहाती नालिसी (एक्स-पी/2) भी कृष्ण कांत सिंह द्वारा दूसरे दिन यानि 04.12.2017 को 16:30 बजे अभिलेखित किया गया।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संदीप कुमार (सुप्रा)** मामले में कंडिका 66 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :---

“66. इस मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की मृत्यु ज़हर से हुई थी। दूसरा, यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं के पास ज़हर था। इस प्रकार, इस आधार पर भी कि उनकी पत्नी और बहू होने के नाते, जो उनके साथ रह रही थीं, अपीलकर्ताओं को ज़हर देने का अवसर मिला होगा, अन्य दो परीक्षण संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस ने अपीलकर्ताओं या उनके घर से कोई ज़हर बरामद नहीं किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, एफएसएल रिपोर्ट किसी भी ज़हर की मौजूदगी से स्पष्ट रूप से इनकार करती है। जहाँ तक अपीलकर्ताओं के पास कोई ज़हर नहीं पाए जाने का सवाल है, हम निस्संदेह दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 6 में दी गई रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं। वही इस प्रकार है:--

“24. उपरोक्त मामलों से यह देखा जा सकता है कि ज़हर से हत्या के मामलों में, अभियुक्त को केवल इस आधार पर बरी नहीं किया गया कि अभियोजन पक्ष एक या दूसरी आवश्यकता को स्थापित करने में विफल रहा, जिसे इस न्यायालय ने धर्मबीर सिंह मामले [आपराधिक अपील संख्या 98/1958, 4-11-1958 को निर्णीत (SC)] में निर्धारित किया था। हमें ऐसा कोई मामला भी नहीं मिला जहाँ अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया हो कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त के पास ज़हर था। उक्त सभी मामलों में अभियुक्त को परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए बरी कर



दिया गया, जिसमें अपर्याप्त उद्देश्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में कमजोरी और मृतक द्वारा आत्महत्या करने की संभावना शामिल है।

25. हमारा मानना है कि अभियुक्त को बरी नहीं किया जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के पास ज़हर होने की बात साबित करने में विफल रहना चाहिए। ज़हर देकर हत्या हमेशा गोपनीयता की आड़ में की जाती है। कोई भी व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में किसी दूसरे को ज़हर नहीं देगा। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गुप्त रूप से ज़हर देता है, वह ज़हर का एक अंश अन्वेषण अधिकारी के आने और उसे लेने के लिए नहीं रखेगा। ऐसी हत्या करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने विरुद्ध साक्ष्यों को मिटाने और नष्ट करने का ध्यान रखेगा। ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के पास ज़हर होने का प्रमाण देना असंभव होगा। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप अन्य परिस्थितियाँ स्थापित कर सकता है। तब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर बरी करना उचित नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के पास ज़हर होने का प्रमाण देने में विफल रहा है।

26. ज़हर से हत्या के मामलों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे कई तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट हो सकती हैं जिनके आधार पर न्यायालय यह अनुमेय निष्कर्ष निकालने में उचित हो सकता है कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत ज़हर था। अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किए गए ऐसे कई तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनके आधार पर अभियुक्त के पास ज़हर होने की बात को मौन रूप से मान लेना आवश्यक हो सकता है। प्रत्येक मामले में अभियुक्त के पास ज़हर होने के प्रमाण पर जोर देना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक। इसका अर्थ होगा ज़हर देकर हत्या के अपराध में एक बाहरी तत्व जोड़ना। अतः, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ज़हर देकर हत्या के मामले में अभियुक्त को अन्य प्रकार की हत्याओं की तुलना में दंड से छूट मिलने की बेहतर संभावना नहीं हो सकती है। ज़हर देकर हत्या किसी भी अन्य हत्या की तरह ही होती है। ऐसे मामलों में जहाँ निर्भरता पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर हो, तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, न्यायालय वैध रूप से परिस्थितियों के आधार पर किसी भी मामले पर एक या दूसरे तरीके से निष्कर्ष निकाल सकता है।”

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोनाली मुखर्जी (सुप्रा) मामले में कंडिका 39 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :-----

“39. बिस्वजीत को गोलियाँ दिए जाने की केवल दो अन्य संभावनाएँ हो सकती हैं: अभियुक्त द्वारा उसका मुँह जबरदस्ती खोलना और गोलियाँ उसके मुँह में डालकर उसे निगलने के लिए मजबूर करना, या दूसरी, बिस्वजीत द्वारा स्वयं गोलियाँ लेना। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जब हम चिकित्सा साक्ष्य और विशेष रूप से डॉ. सहाय द्वारा वर्णित चोटों को देखते हैं, तो बिस्वजीत के चेहरे पर कोई चोट नहीं है।



शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें थीं और वे बेहद मामूली थीं। कम से कम चोटों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि उसका मुँह ज़बरदस्ती खोला गया और फिर गोलियाँ उसके मुँह में डाल दी गईं ताकि वह उन्हें निगल सके। सुब्बाश दास (अभियुक्त-5) के साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। इस मामले में, यदि हम सुभाष दास (पीडब्लू-5) के इस पहलू पर दिए गए साक्ष्य को स्वीकार कर लें कि उस रात उस कमरे में वास्तव में क्या हुआ था, तो कम से कम बिस्वजीत को गोलियाँ दिए जाने के मामले में असददीद पोद्दार (ए-2) को दोषमुक्त करने के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं होगा। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दरवाज़ा बंद होने तक, असददीद पोद्दार (ए-2) बाहर था और केवल सोनाली मुखर्जी (ए-1) ही बिस्वजीत के साथ थी।”

उपरोक्त विधिक सिद्धांत के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि इस मामले में अभियोजन एजेंसी का आचरण विश्वसनीय नहीं है।

24. इसी तरह के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अल्लारखा हबीब (सुप्रा) के मामले में कंडिका 19, 20, 29 और 38 में यह अभिनिर्धारित किया गया था :---

19. चूंकि पुलिस कांस्टेबल, देमिस्टल कुमार (पीडब्लू-12) ने जघन्य हमले का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हुए अपराध के हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी, इसलिए कोई कारण नहीं था कि पुलिस स्टेशन पहुँचने पर उसका बयान तुरंत दर्ज न किया जाता है। ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों से, न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा होता है कि देमिस्टल कुमार (पीडब्लू-12) का बयान निश्चित रूप से दैनिक डायरी (रोज़नामचा) में दर्ज किया गया होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका बयान अभियोजन पक्ष के मामले के अनुकूल न हो और इसीलिए दैनिक डायरी प्रविष्टि को कभी भी अभिलेख पर नहीं लाया गया था। दैनिक डायरी का प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष की ओर से एक गंभीर चूक है।

20. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पुलिस कांस्टेबल, देमिस्टल कुमार (पीडब्लू-12) द्वारा बताई गई घटना के पहले संस्करण को एफआईआर के रूप में माना जाना चाहिए और मोहम्मद आरिफ मेमन (पीडब्लू-11) द्वारा दर्ज किया गया परिवाद को धारा 161 सीआरपीसी के तहत एक बयान की श्रेणी में रखा जाएगा और इससे आगे कुछ नहीं। इसे एफआईआर नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत आता। इस प्रकार, स्पष्टतः, अभियोजन पक्ष न्यायालय से प्रारंभिक विवरण छिपाने का दोषी है और इसलिए, इस आधार पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना उचित है।”

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नंद लाल (सुप्रा) मामले में कंडिका 23 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :---

“23. इस प्रकार, पीडब्लू संख्या 14, जांच अधिकारी के साक्ष्य से यह देखा जा सकता है कि पुलिस को घटना की जानकारी कम से कम 3 नवंबर 2006 की रात 11.45 बजे से पहले थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी। एफआईआर दर्ज करने में देरी का प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होगा। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया



जाता है कि अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार को गंभीर चोटें आई थीं, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त संख्या 11 नरेश कुमार द्वारा एक विशिष्ट बचाव प्रस्तुत किया गया है कि जब वह शराब पीकर आ रहा था, तो आत्माराम (अभियोगी संख्या 1) ने उस पर हमला किया था। इसके बाद, वह अभियुक्त क्रमांक 7 चरनु जांगड़े, अभियुक्त क्रमांक 12 पलटन जांगड़े, अश्विनी और विनोद के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहाँ से उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। अभियुक्त क्रमांक 11 नरेश कुमार की चोटों को देखते हुए, यह मुश्किल लगता है कि वह घटना के दूसरे भाग में शामिल हो सकता था। अभियोजन पक्ष ने आत्माराम (पीडब्लू-1) और अभियुक्त क्रमांक 11 नरेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई पहली रिपोर्ट को दबा दिया है। यदि नरेश कुमार से रात 11:45 बजे पूछताछ की गई थी, तो पुलिस को कम से कम रात 11:00 बजे तक घटना के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। इसलिए, एफआईआर दर्ज करने में कम से कम चार घंटे की देरी हुई।"

26. इसी तरह के एक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सेकरन (सुप्रा)** मामले में कंडिका 14 और 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया:---

"14. हम एफआईआर से शुरुआत करते हैं, जिस पर अपीलकर्ता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि इसके विलंबित पंजीकरण के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह बात आम है कि केवल इसलिए कि एफआईआर दर्ज करने में कुछ देरी हुई है, इसे अपने आप में और बिना किसी और कारण के, सभी मामलों में न्यायालय के मन में अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक विशेष मामले की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या एफआईआर दर्ज करने में हुई अस्पष्ट देरी, घटना का एक मनगढ़ंत संस्करण देने के लिए एक बाद की सोच है, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को धूमिल करने के लिए पर्याप्त है।

15. जिन प्रकरण में विलंब होता है, उसे अन्य परिस्थितियों के आधार पर परखा जाना चाहिए। यदि समस्त सुसंगत परिस्थितियों पर समग्र विचार करने पर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी का कारण स्पष्ट किया गया है, तो केवल विलंब अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है; तथापि, यदि देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं किया गया है और न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को भी अभियुक्त बनाने के लिए विलंब का कारण आवश्यक था, तो कोई कारण नहीं है कि देरी को दोषसिद्धि को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक के रूप में घातक नहीं माना जाना चाहिए।"

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कैलाश गौर (सुप्रा)** मामले में कंडिका 38.2.2, 38.2.3 और 38.3 में निम्नानुसार निर्णय दिया:---



" 38.2 इस न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद (2001) 6 एससीसी 71 मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने के प्रभाव पर विचार किया और घोषित किया कि यदि विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:--

12. "यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन पक्ष के बयान में बढ़ा-चढ़ाकर बात कहने की संभावना है, तो विलंब अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगा। हालाँकि, यदि विलंब का स्पष्टीकरण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार कर दिया जाता है, तो विलंब अपने आप में संपूर्ण अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने और उसे खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है।

38.2.3 दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12 एससीसी 641 में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रकार का है, जहाँ इस न्यायालय ने कहा था:"

9. दायित्व विचारण में न्यायालय के लिए एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण की तलाश की जाए। विलंब कभी-कभी शिकायतकर्ता को शिकायत पर विचार-विमर्श करने, उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या यहाँ तक कि मनगढ़ंत बातें कहने का अवसर प्रदान करता है। विलंब, मामले के बेदाग और बेदाग पक्ष को यथाशीघ्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की संभावना को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि यदि पुलिस या न्यायालय के समक्ष आने में देरी होती है, तो न्यायालय हमेशा आरोपों को संदेह की दृष्टि से देखती हैं और संतोषजनक स्पष्टीकरण की अपेक्षा करती हैं। यदि ऐसी कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना जाता है। "

38.3 मोहम्मद ताहिरुद्दीन (पीडब्लू 2) के बयान से यह स्पष्ट है कि एफआईआर तभी तैयार की गई जब जाँच अधिकारी ने इस साक्षी के माध्यम से इलाके के लोगों को इकट्ठा किया था। इसके बाद अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और समुदाय के बुजुर्गों से विचार-विमर्श के बाद अब्दुल जब्बार (पीडब्लू 5) से एक रिपोर्ट लिखवाई जिसमें 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। पीडब्लू 5 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मोहम्मद ताहिरुद्दीन ने इलाके के प्रमुख लोगों की एक सभा में इजहार में उल्लिखित तथ्यों पर चर्चा की थी। जब उसने इजहार लिखा था, तब लगभग 100/200 लोग वहाँ जमा थे। यह समझना कठिन है कि इतने व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई रिपोर्ट इतनी गंभीर आपराधिक मुकदमे में इतनी सहजता से विश्वसनीय कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि अन्वेषण अधिकारी भी इलाके के बुजुर्गों से बातचीत के बाद रिपोर्ट तैयार करने में योगदान दे रहे थे। मोहम्मद ताहिरुद्दीन ने इस संबंध में बयान दिया है:

"जब उनके घर पर इजहार लिखा जा रहा था, तो उन्होंने ग्राम प्रधान अब्दुल जब्बार और गाँव के अन्य प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया और आई.ओ. गाजी साहब के कहने पर वे भी आ गए...इजहार लिखने से पहले दारोगा ने प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ की थी।"



28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश बाबूराव देवस्कर (सुप्रा) मामले में कंडिका 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :---

“18. जाँच के पश्चात् हत्या के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्ता-11 द्वारा घटनास्थल पर स्वयं सूचक को दिए गए बयानों के आधार पर दर्ज की गई है। यदि उक्त अभियोजन पक्ष का साक्षी, जिसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति था, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों न बने। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनास्थल पर प्रथम सूचक को दी गई उसकी जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। उसके द्वारा अभियोक्ता-13 को दी गई सभी जानकारी स्वयं अन्वेषण अधिकारी के समक्ष दी गई थी। उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से किस बात ने रोका, यह हमारी समझ से परे है। हम अभिलेख में दर्ज कर सकते हैं कि अभियोग-11 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने सभी संबंधितों को जानकारी का विवरण बता दिया था। अतः, यह उम्मीद की जाती है कि प्रथम सूचनाकर्ता को इसकी सूचना दी गई होगी। हमने पहले भी देखा है कि अभियोग संख्या 13 द्वारा दी गई जानकारी कम से कम पुलिस द्वारा अपराध रजिस्टर में दर्ज की गई थी और उसने कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से बताए थे, जैसे कि मुख्य अभियुक्त संख्या 9 ने अपने भाई शिवाजी पाटिल और एक अन्य व्यक्ति बाबूराव पाटिल की हत्या की थी। यहाँ तक कि हत्या की जगह भी उसे पता थी। यदि हम अन्वेषण अधिकारी की बात मानें, तो उन्होंने पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया था। चोटों की प्रकृति और चोटों के स्थान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उन्हें ज्ञात थी क्योंकि जाँच रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी थी। अन्वेषण अधिकारी की ओर से इस तरह के प्रयास की इस न्यायालय ने कई निर्णयों में निंदा की है। पंच साक्षीयों सहित अन्य सभी साक्षी वहाँ अवश्य उपस्थित रहे होंगे। इसके बावजूद, यदि पंच साक्षीयों के अनुसार, कम से कम बाबूराव के संबंध में, अज्ञात व्यक्तियों को उनके हमलावर कहा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-11 ने हमलावरों के नाम नहीं बताए; कम से कम उन सभी के नाम पीडब्लू-9 और अन्वेषण अधिकारी के समक्ष नहीं बताए।”

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त विधिक प्रस्तावों को वर्तमान मामले में भी लागू करने पर यह स्पष्ट है कि विचाराधीन मामले में मृतक की मृत्यु के 24 घंटे से अधिक समय बाद अन्वेषण अधिकारी द्वारा देहाती नालिसी और एफआईआर दर्ज की गई थी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि चौकी प्रभारी द्वारा घटना के दिन ही अर्थात् 03.12.2017 को ही जांच ज्ञापन तैयार कर लिया गया था, लेकिन उस समय परिवादी ने उन्हें घटना के बारे में नहीं बताया। अन्वेषण अधिकारी भी उसी दिन दिनांक 03.12.2017 को मौके पर पहुंचे लेकिन उन्होंने भी कोई परिवाद या देहाती नालिसी दर्ज नहीं की और उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि हत्या एक गंभीर अपराध है और कोई भी हत्या के बारे में सूचना दे सकता है लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रतिपरीक्षा के कंडिका 20 में, वह पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते थे। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि यदि किसी ने उन्हें इस मामले की सूचना दी होती, तो वे रिपोर्ट दर्ज कर लेते। अभि.सा.-6 एन. वरुण ने मृतक मलिक राम के शरीर पर मुँह के पास किसी क्षति के बारे में उल्लेख नहीं किया



तथा न ही किसी चोट से यह पता चलता है कि मलिक राम का मुँह जबरदस्ती खोला गया था और फिर उसे ज़हर पिलाने के लिए विवश किया गया था। डॉ. एन. वरुण (पीडब्लू-6) द्वारा केवल कुछ चोटों और खरोंचों को दर्ज किया गया था, जो बचाव पक्ष की इस संभावना की पुष्टि करता है कि उस दिन मृतक और अभियुक्तों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और मृतक के पुत्र द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसी दिन अभियुक्तों ने मृतक मलिक राम के विरुद्ध मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रश्न संख्या 103 के उत्तर में अभियुक्त ने बताया कि घटना दिनांक को अमन कुमार और मृतक मलिक राम के बीच झगड़ा हुआ था तथा उन्होंने एक-दूसरे के साथ मारपीट की थी और मृतक मलिक की घर में रखी जहरीली शराब या कीटनाशक के सेवन के कारण मृत्यु हो गई थी। मृतक/परिवादी के पुत्र और अन्य साक्षियों ने भी स्वीकार किया है कि मलिक राम ने 03.12.2017 की सुबह शराब पी थी और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य नहीं जुटाया गया है कि अपीलकर्ता दिनेश ने ज़हर कैसे ग्रहण किया और मृतक के मुँह में किसी भी संघर्ष का कोई निशान चिकित्सक द्वारा नहीं पाया गया, जिससे पता चलता है कि उसे जबरदस्ती ज़हर दिया गया था।

30. मृतक के पुत्र (पीडब्लू-1) के आचरण और अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-19) के बयान को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि मृत्यु हत्या थी या आत्महत्या और साथ ही सभी गवाहों के बयान और अभियोजन एजेंसी के आचरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया और उसे जबरदस्ती ज़हर दिया, इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष मान्य योग्य नहीं है।

31. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। दोषसिद्धि और दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149, 328/149 और 302/149 के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

32. अपीलकर्ता रमेश कुमार, दिनेश कुमार और गौरीशंकर जेल में हैं, जबकि अन्य आरोपी भान सिंह लहरे, रामनारायन उर्फ सुरेश, गणेश राम, श्रीमती बैशाखा बाई और रविशंकर लहरे जमानत पर हैं। यदि अपीलकर्ता रमेश कुमार, दिनेश कुमार और गौरीशंकर को किसी अन्य अपराध में निरुद्ध रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

33. बीएनएसएस 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये का निजी मुचलका तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगे, साथ ही एक वचनबद्धता भी होगी कि तत्काल निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।



34. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

सही/-
रजनी दुबे
न्यायाधीश

सही/-
सचिन सिंह राजपूत
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

